"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005—ज्येष्ठ 6, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री अवध बिहारी, भा.प्र.से. (1991) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. के. बेहार, भा.प्र.से. (1992) संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिरीक्षक, पंजीयन का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक एफ 1-7/2002/1/6 (7).—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय जांच आयुक्त, पद के लिए उच्च न्यायिक सेवा के सुपर टाईम स्केल का वेतनमान रुपये 18400-500-22400 को पुनरीक्षित करते हुए वेतनमान रुपये 22850-500-24850 निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 786/वित्त/नियम/चार/2004, दिनांक 28-8-2004, द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 10-6-2005 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 एवं 23 मई, 2005 एवं दिनांक 11, 12 जून, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्लै, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्लै, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्लै, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.

रायपुर, 10 मई 2005

क्रमांक ई-7/52/2004/1/2.—श्री सोनमणी वोरा, भा.प्र.से. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर को दिनांक 9-5-2005 से 13-5-2005 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 14 एवं 15 मई, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वोरा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री वोरा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वोरा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2005

क्रमांक ई-7/18/2004/1/2.—श्री विवेक ढॉड, भा.प्र.से. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मा. मुख्यमंत्री तथा आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग को दिनांक 1-6-2005 से 13-6-2005 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उक्त अवकाश अवधि में विदेश प्रवास (यूरोप) पर जाने हेतु स्वयं के व्यय पर यात्रा करने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ढॉड, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मा. मुख्यमंत्री तथा आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ढॉड, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ढॉड, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2005

क्रमांक 1122/849/2005/1/2.—श्रीमती ईशिता राय, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 24-5-2005 से 6-6-2005 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21, 22 एवं 23 मई, 2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती राय, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती राय, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राय, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहती.

5. श्रीमती राय के उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. के. बेहार, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ ग्रामोद्योग विभाग का भी कार्य संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 मई 2005

क्रमांक एफ 6-3/2005/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अनंग कुमार पटनायक, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 11 अप्रैल, 2005 से 15 अप्रैल, 2005 तक (पांच दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 9 से 10 अप्रैल, 2005 एवं दिनांक 16 अप्रैल, 2005 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 12 मई 2005

विषय : छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल के सदस्यों का नामांकन.

क्रमांक एफ 5-1/2005/1-9.—सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प क्रमांक एफ 5-1/2002/1-9/सा.प्र.वि./9-1 दिनांक 18-7-2002 की कंडिका 4 (6) एवं 4 (7) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल में वर्ष 2005-06 के लिए निम्नलिखित सदस्य नामांकित किये जाते हैं :—

कंडिका 4 (6) के अंतर्गत

1. श्री बी. के. अग्रवाल, (टेबल टेनिस) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय.

2. श्री अनिल टुटेजा, उप-सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय.
3. श्रीमती संगीता राजगोपालन (बेडमिंटन) महिला आई.टी.आई., भिलाई.
4. श्री राजेन्द्र डेकाटे (बालीबाल), डी. एस. ओ., राजनांदगांव.
5. डॉ. अतुल शुक्ला, (टेबल टेनिस) क्रीड़ा अधिकारी, शासकीय-दूधधारी बजरंग, महिला महाविद्यालय, रायपुर.

कंडिका 4 (7) के अंतर्गत

1. श्री एवन कुमार जैन (भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव) उच्च श्रेणी शिक्षक, आडवानी हायर सेकेण्डरी स्कूल वीरगांव, रायपुर.

2. उपरोक्त समस्त सदस्यों को नामांकनं दिनांक 9-5-2005 से एक वर्ष के लिए किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2005

क्रमांक/1267/सी. एम./41/2004/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा "हरेली त्यौहार" को प्रतिवर्ष "कृषक दिवस" के रूप में मनाने की घोषणा करती है.

यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यू. ओ. क्रमांक 39/2005 सा.प्र.वि. 2005/1/5 दिनांक 15-3-2005 से दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक/एफ 9-22/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गौरेला, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई है :—

अनुसूची

गौरेला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बेलगहना एवं गिरवर, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम गिरवर, टिकरकला, डुमरिहा, सेमरा, टिकरसानी एवं सारबहरा, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम सारबहरा एवं मडना, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम मडना, अंजली, गोरखपुर एवं बेलगहना, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक/एफ 9-26/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 13 (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मालखरौदा, निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चय की गई है :—

अनुसूची

मालखरौदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कलमी, विरभाठा एवं मुक्ता, ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम मुक्ता एवं चिखली, ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम चिखली, चारपारा एवं बड़े सीपत, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम बड़े सीपत, छोटे सीपत एवं कलमी, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2005

क्रमांक एफ-1-14-2005/वित्त/चार (सम).—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम-(10) के मूल नियम-9 (32) अधीन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर को विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2005

क्रमांक 4407/1026/21-ब/छ. ग./05.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 316/दो-16/2001/

गोपनीय/2005, दिनांक 13 मई, 2005 के अनुपालन में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में अध्यक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु सारणी में उल्लेखित निम्न उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा सौंपी जाती है :—

क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	अनुशंसित स्थान जहां प्रतिनियुक्ति होना है (3)
1.	श्री प्रभात शास्त्री, पंचम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर.	दुर्ग
2.	श्री फेरूलाल उंजन, द्वितीय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर.	जगदलपुर
3.	श्री तीरथ राम बर्मन, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर.	बैकुण्ठपुर
4.	श्री छोटेलाल सिंग टेकाम, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़.	रायगढ़
5.	श्री माधव प्रसाद शर्मा, प्रथम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर.	अंबिकापुर
6.	श्रीमती अनुराधा खरे, रजिस्ट्रार, माध्यस्थम अधिकरण रायपुर.	रायपुर
7.	श्रीमती माधुरी कातुलकर, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर.	बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक 3662/2662/05/19/स्था.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-9 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

   "चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उम्मीदवार ने अपनी आयु 21 वर्ष पूरे कर लिये हों, किन्तु 30 वर्ष पूरे न किये हों,"

2. अनुसूची (तीन) में सरल क्रमांक (2) एवं (4) से संबंधित स्तम्भ क्रमांक (4) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय,

   (4) बाहरी व्यक्तियों के लिए "30 वर्ष" अन्यों के लिए नियम 9 (1) (ख) और (ग) के अनुसार.

No. 3662/2662/05/19/E-2.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Works Engineering (Gazetted) Service Recruitment rules 1969, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (a) of sub-rule (1) of rule 9 the following clause shall be substituted, namely :—

   "He must have attained the age 21 years and not attained the 30 years on the first day of January next following the date of commencement of the selection."

2. In schedule III of serial number (2) and (4) relating of column numbers (4) the following entries shall be substituted :—

   "30 years" for the outsiders. For others as per Rule 9 (1) (b) & (c).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2005

क्रमांक एफ 9-23/16/2004.—चूंकि जनरल सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ केमिकल मिल मजदूर संघ, राजनांदगांव द्वारा नियोजक, छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज, कुम्हारी जिला दुर्ग वर्ष 1990-91 में काम से वंचित 47 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा-51 की उपधारा (1)(अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या 10 वर्ष पुराने प्रकरण विचार योग्य हैं ?

(2) यदि हां तो क्या संलग्न सूची के श्रमिकों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो वे किस सहायता के पात्र हैं तथा इस संबंध में नियोजक पक्ष को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्यजीत ठाकुर, सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2005

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2004/29.—रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 309/Confdl./2003, दिनांक 01-10-2003 द्वारा श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की सेवाएं अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई थी, के अनुक्रम में उन्हें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था. विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3940/डी-983/21-ब/छ.ग./05 दिनांक 30-4-2005 के अनुक्रम में श्री तपन कुमार चक्रवर्ती की सेवाएं एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापिस सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2005

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2004/29.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3951/डी/1365/21-ब/छ. ग./04, दिनांक 28-06-2004 द्वारा श्रीमती मैत्रीय माथुर, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति न्यायालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की सेवाएं अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई थी, के अनुक्रम में उन्हें अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था. विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3945/डी-983/21-ब/छ.ग./05 दिनांक 30-4-2005 के अनुक्रम में श्रीमती मैत्रीय माथुर की सेवाएं एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापिस सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2005

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2004/29.—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 274/II-2-16/2001(गोपनीय)/2005, दिनांक 27-04-2005 के अनुपालन में श्री ताराचन्द यदु, विधिक सलाहकार, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए उनकी सेवाएं रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई है. राज्य शासन एतद्द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3944/डी-980/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 30-4-2005 के अनुक्रम में श्री ताराचन्द यदु, को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2005

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2004/29.—विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1916/795/21-ब/छ.ग./04, दिनांक 25-3-2004 द्वारा श्री चन्द्रभूषण बाजपेयी, की सेवाएं रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु इस विभाग को सौंपी गई थी, के अनुक्रम में उन्हें रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया था. विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3946/डी-983/21-ब/छ.ग./05, दिनांक 30-4-2005 के अनुक्रम में श्री चन्द्रभूषण बाजपेयी की सेवाएं एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापिस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 मई 2005

क्रमांक एफ-9-1/दो/गृह/05.—सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी, 2005 को प्रश्नपत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती ऋतु सेन	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	श्री चितरंजन दास	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
3.	श्री सुभाष चन्द्र मण्डल	राजस्व निरीक्षक	जुलाई, 2004 में उत्तीर्ण निम्नस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री बलीराम साहू	राजस्व निरीक्षक	जुलाई, 2004 में प्रथम में निम्नस्तर द्वितीय में
5.	श्री सुरेश कुमार निगम	राजस्व निरीक्षक	जुलाई, 2004 में निम्नस्तर

2. निम्नांकित परीक्षार्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप प्रश्नपत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	उत्तीर्ण होने का स्तर (5)
1.	श्री पार्थ प्रसाद द्विवेदी	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2005

क्रमांक 13/अ-82/ 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक) एवं संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पेण्ड्रा	0.809	उप संचालक, मत्स्योद्योग बिलासपुर.	मत्स्य बीज उत्पादन इकाई

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 मार्च 2005

क्रमांक 1393/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	भालूकोन्हा प.ह.नं. 17	0.78	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट नहर परियोजना के अंतर्गत डुड़िया माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक 569/प्रस्तुतकार-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-पीसेगांव, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
143	0.13
257	0.13
259	0.16
261/2	0.01
265	0.05
469	0.01
494/1	0.06
499	0.05
501	0.16
504	0.13
508	0.12
569	0.02
568/1	0.02
573/1	0.01
575	0.04

(1)	(2)
263/2	0.07
234	0.10
258	0.01
261/1	0.01
263/1	0.10
468	0.05
470	0.04
496	0.03
500	0.09
510	0.01
506	0.08
509	0.09
511	0.03
570	0.01
573/2	0.01
576	0.13
योग	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उद्वहन सिंचाई योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक 572/प्रस्तुतकार-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-धमधा
  (ग) नगर/ग्राम-सिरनाभाठा, प. ह. नं. 6
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.05
21	0.61
योग	0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगनानाला व्यपवर्तन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक 575/प्रस्तुतकार-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-धमधा
  (ग) नगर/ग्राम-घोटवानी, प. ह. नं. 15
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.87 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77	0.09
1327	0.03
403	0.02
402	0.02
401	0.04
316	0.03
318	0.15
380	0.03
1370	0.16

(1)	(2)
383	0.02
381	0.21
395	0.03
1252	0.15
1129/1	0.05
1129/2	0.06
1123	0.03
1124/2	0.06
1126	0.02
1179/2	0.01
1183	0.02
1191	0.01
1192	0.02
1248	0.01
78	0.03
311	0.07
312	0.04
314	0.11
315/1	0.05
317	0.01
379	0.06
1323	0.01
1372	0.15
390	0.01
391	0.04
396	0.02
1118/1	0.03
1118/2	0.03
1119	0.03
1127/1	0.09
1125	0.05
1128/1	0.05
1182	0.01
1188/2	0.01
1188/3	0.01
1249	0.38
1269	0.08
1259	0.07
1260	0.11
1261/2	0.14
1268/1	0.16
1320	0.12
1324	0.35
1326	0.25
1340	0.07
1359	0.04
1368	0.08
1371	0.07
1367/2	0.05
1374	0.05
222	0.02
1253	0.12
1261/1	0.01
1262	0.05
1268/2	0.05
1321	0.10
1325/2	0.10
1338	0.05
1339	0.50
1360	0.22
1369	0.02
1367/1	0.07
1373	0.23
1375	0.08
223/3	0.05
योग	5.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोती-नाला व्यपवर्तन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 मई 2005

क्रमांक 578/प्रस्तुतकार-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-कोलिहापुरी, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34/1	0.04
34/2	0.03
39	0.03
63	0.03
64	0.03
127	0.02
87	0.05
89	0.06
105	0.08
109	0.02
115	0.02
198	0.03
184	0.10
189	0.06
210	0.09
206	0.02
215	0.25
209	0.06
214	0.06
38/1	0.10
34/3	0.09
40	0.06
107	0.02
67	0.09
85	0.10
128	0.07
133	0.07
106	0.06
112	0.02
116	0.02
118	0.03
190	0.06
188	0.05
199	0.06
207	0.06
208	0.16
213	0.01
योग	2.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिसेगांव उद्वहन सिंचाई.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2005

क्रमांक 1665/अ.वि.अ./भू.अ./प्र. क्र. 01/अ-82/वर्ष 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.882 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
239	0.020

(1)	(2)
238	0.142
230	0.056
231/5	0.150
231/1	0.482
232/1	0.032
योग	0.882

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भाटापारा शाखा नहर की गुजरा वितरक शाखा नहर के विस्तारित नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 6 मई 2005

प्रकरण क्रमांक 1-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-भनसुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
20/2	8.00
21/2	0.96
22	2.02
24/2	8.67
योग 4	19.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-ग्राम जुनवानी के पुनर्वास हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 3 मई 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/09/अ-82/04-05/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जगदलपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
71	3.95

(1)	(2)
72	3.30
योग	7.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-गोकुल नगर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मई 2004

क्रमांक 2289/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-मदाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.04
3	0.47
4	1.21
97	0.20
7, 94	1.31
8/1, 89	0.53
8/2, 81, 91	1.19
95	1.23
98	0.21
93	0.01
योग	6.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-एन. एम. डी. सी. परियोजना किरन्दुल के विविध कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मई 2004

क्रमांक 2292/भू-अर्जन/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
(ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेपनेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
268	0.10
314	0.09
285	0.66

(1)	(2)	(1)	(2)
226	0.06	329	0.06
315	0.02	812	0.64
331	1.06	316, 319, 322, 809/1	0.63
333	0.01	योग	4.22
226	0.44		
284	0.11		
311	0.15		
328	0.06		
313	0.01		
228	0.21		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2005

क्रमांक 56/04/निर्वा. संचा./2005/766.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त आदेश क्रमांक 76/छ. ग.-लो. स./2004/3023 एवं 3232 (2003) दिनांक 9 मार्च, 2005 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(डॉ. ए. जयतिलक)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
छत्तीसगढ़.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 2005—16 फाल्गुन, 1926 (शक)

आदेश

सं. 76/छ. ग.-लो. स./2004.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2004 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004.	1-सरगुजा (अ.ज.जा.)	श्री प्रवीण कुमार, ग्राम छिन्दपारा, तह. अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया.
2.	—वही—	9-बस्तर (अ.ज.जा.)	श्री शिवराम, ग्राम चालनार, पो. कचगार, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़.	—वही—
3.	—वही—	—वही—	श्री चन्द्रशेखर ध्रुव शेखर, सी.एच.ई.वी. कालोनी, उधमपुर, तह. जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	श्रीमती दासीबाई, ग्राम बीजापुर, पो. बीजापुर तह. बीजापुर, जिला दन्तेवाड़ा छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	छत्तीसगढ़ लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2004.	11-राजनांदगांव	श्री रोमन सिंह साहु, ग्राम मासुल, पोस्ट गैंदाटोला, तहसील राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया गया.

आदेश से,
हस्ता./-

(एस. के. कौरा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the 7th March, 2005—16 Phalguna, 1926 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-HP/2004.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to Lok Sabha, 2004 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particular of election	S. No. & Name of Parliamentary Constitutency	Name & Addressed of contesting candidate	Reason for disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to Lok Sabha, 2004 from Chhattisgarh.	1—Sarguja (ST)	Praveen Kumar, Gram-Chindpara, Tah.-Ambikapur, Distt.-Sarguja, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	General Election to Lok Sabha, 2004 from Chhattisgarh.	9—Bastar (ST)	Shivram, Gram-Chalnar Post-Kachgaar. Distt.-Bastar, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
3.	—do—	—do—	Chandershekhar Dhruvshekhar, C.H.E.V. Colony, Udhampur, Tah.-Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Mrs. Dasibai, Gram-Bijapur, Post-Bijapur, Distt.-Dantewara, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	11—Rajnandgaon	Roman Singh Sahu, Gram-Masul, Post-Gandatola, Tah.-Rajnandgaon, Distt.-Rajnandgaon, Chhattisgarh.	—do—

By order,
Sd./-

(S. K. KAURA)
Secretary,
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 2005—16 फाल्गुन, 1926 (शक)

आदेश

सं. 76/छ. ग.-वि. स./2003.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहा है;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्र. सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003.	4-सूरजपुर (अ.ज.जा.)	श्री शिवबचन सिंह, ग्राम देवनगर, पोस्ट देवनगर, तह. सूरजपुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़.	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया.
2.	—वही—	—वही—	श्री जयनाथ सिंह केराम, ग्राम देवीपुर, विकास खण्ड सूरजपुर, तह. सूरजपुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़.	—वही—
3.	—वही—	—वही—	श्री देवनारायण, ग्राम खोहिरपारा, कुदरगढ़ तह. सूरजपुर, जिला-सरगुजा छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	15-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री जलिन्धर राठिया, ग्राम पोस्ट बरौद, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	16-लैलूंगा (अ.ज.जा.)	श्री शशि भूषण, ग्राम ब्रह्मा, तह. लैलूंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़.	—वही—
6.	—वही—	32-मस्तूरी (अ.जा.)	श्री बी. एल. पन्थी, एच. आई. जी. 32 शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	57-सिहावा (अ.ज.जा.)	श्री राजेन्द्र सिंह ध्रुवे, ग्राम गुहाननाला, पो. दुगली, तह. नगरी, जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
8.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003.	65-भानपुरी (अ.ज.जा.)	श्री बुधसन, ग्राम बड़े आमावाला, तहसील जगदलपुर, छत्तीसगढ़.	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया.
9.	—वही—	—वही—	श्री लखमू भारती, ग्राम सोनारपाला, तहसील जगदलपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
10.	—वही—	66-जगदलपुर (अ.ज.जा.)	श्री दुर्जन कश्यप, ग्राम कोलावल, पोस्ट कोलावल, तहसील जगदलपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
11.	—वही—	—वही—	श्री सोनासाय झितरू राम, ग्राम संघकरमरी, पो. संघकरमरी, तहसील जगदलपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
12.	—वही—	73-बेमेतरा	श्री मनीष कुमार छाबड़ा, ग्राम पंजाबीपारा, मंडी वार्ड, बेमेतरा, छत्तीसगढ़.	—वही—
13.	—वही—	74-साजा	श्री लोधी भुवन बघेल, ग्राम-मोहतरा, पो. आ. देउरगांव, तह. साजा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
14.	—वही—	75-धमधा	श्री जागेश्वर साहू, ग्राम चिखली, पो. जेवरासिरसा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
15.	—वही—	—वही—	श्री मूलचंद देशलहरा, ग्राम लहंगा, पोस्ट-गोढी, तह. धमधा, छत्तीसगढ़.	—वही—
16.	—वही—	—वही—	श्री श्याम मुरारी सिन्हा, शांति नगर कोहका, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
17.	—वही—	—वही—	श्री मनहरण लाल निषाद, ग्राम व पोस्ट ननकट्ठी, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
18.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003.	75-धमधा	श्री गिरधारी, म. नं. 236, ग्राम नंदनी खुंदनी, तहसील-धमधा, छत्तीसगढ़.	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया.
19.	—वही—	76-दुर्ग	श्री अशोक गुप्ता, रामनगर सुपेला, इंदिरा चौक, छत्तीसगढ़.	—वही—
20.	—वही—	—वही—	श्री बाकर अली, म. नं. 78 ग, गुरूघासीदासनगर दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
21.	—वही—	—वही—	श्री बलराम यादव, वार्ड नं. 4, गयानगर दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
22.	—वही—	—वही—	श्री सूरज प्रसाद शुक्ल टोपे निवास, तितुरडीह दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
23.	—वही—	77-भिलाई	गायत्री चक्रवर्ती क्वा. नं. 8 डी सेक्टर 5, सड़क नं. 10, भिलाई, छत्तीसगढ़.	—वही—
24.	—वही—	78-पाटन	श्री गन्नू पटेला, ग्राम व पोस्ट-कुम्हारी, तह.-धमधा, छत्तीसगढ़.	—वही—
25.	—वही—	79-गुण्डरदेही	देमनी बाई सिन्हा, ग्राम टेंगना बरपारा, तह. गुरूर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
26.	—वही—	—वही—	श्री तेजराम साहू, ग्राम जोरा तराई, पो. भाठागांव (आर), तह. गुण्डरदेही, छत्तीसगढ़.	—वही—
27.	—वही—	80-खेरथा	श्री लोकनाथ निषाद, मेन रोड डौण्डी लोहारा, तह. डौण्डी लोहारा, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
28.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003.	80-खेरथा	श्री संतोष गोड़, लुचकी पारा, शिव मन्दिर के सामने वार्ड नं. 6, दुर्ग, छत्तीसगढ़.	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया.
29.	—वही—	—वही—	श्री डेरहाराम, ग्राम अंडा, थाना पुलगांव, तह. व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
30.	—वही—	81-बालोद	उत्तराबाई साहू, ग्राम फागुन्दाह, तह. गुरूर, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,
हस्ता./-

(एस. के. कौरा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated the 7th March, 2005—16 Phalguna, 1926 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2003.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assemgly, 2003 as specified in column (2) held from the Constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge any account of election expenses within the specified time and/or in the manner required by the Representations of the People Act, 1951 and the Rule made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And, Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No. (1)	Particular of election (2)	S. No. & Name of Assembly Constituency (3)	Name & Addressed of contesting candidate (4)	Reason for disqualification (5)
1.	General Election to Chhattisgarh Legislative, Assembly, 2003.	4—Surajpur (ST)	Shiv Bachan Singh, Village-Devnagar, Post-Devnagar, Tahsil-Surajpur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	—do—	—do—	Jai Nath Singh Keram, Village-Devipur, Block-Surajpur, Tahsil-Surajpur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Devnarayan, Village-Khohirpara, Kudargarh, Tahsil-Surajpur, Distt.-Surguja, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	15-Dharmjaigarh (ST)	Jalindhar Rathia, Village/Post-Baroud, Distt.-Raigarh, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	16-Lailunga (ST)	Shashi Bhushan, Village-Bahama, Tahsil-Lailunga, Distt-Raigurh, Chhattisgarh.	—do—
6.	—do—	32-Masturi (SC)	B. L. Panthi, HIGs-32, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
7.	—do—	57-Sihawa (ST)	Rajendra Singh Dhruw, Gram-Guhanala, Post-Dugli, Tah.-Nagri, District-Dhamtari, Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	65-Bhanpuri (ST)	Budhsan, Vill.-Bademawal, Tahsil-Jagdalpur, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	General Election to Chhattisgarh Legislative, Assembly, 2003.	65-Bhanpuri (ST)	Lakhmu Bharti, Vill.-Shonarpal, Tahsil-Jagdalpur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
10.	—do—	66-Jagdalpur (ST)	Durjan Kshyap, Vill.-Kalawal, Post-Kolawal, Tahsil-Jagdalpur, Chhattisgarh.	—do—
11.	—do—	—do—	Sonai/Jhitru Ram, Vill.-Sandhkarmri, Post-Sandhkarmri, Tahsil-Jagdalpur, Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	73-Bemetara	Manish Kumar Chhabra, Village-Panjabi Para, Mandi Ward, Bemetara, Chhattisgarh.	—do—
13.	—do—	74-Saja	Lodhi Bhuwan Baghel, Village-Mohtara, P.O.-Deourgaon, Tah.-Saja, Distt. Durg, Chhattisgarh.	—do—
14.	—do—	75-Dhamdha	Jageshwar Sahu, Gram-Chikhali, Post-Jewra Sirsa, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
15.	—do—	—do—	Mulchand Deshlahra, Gram-Lahanga, Post-Dodhi, Tah.-Dhamdha, Chhattisgarh.	—do—
16.	—do—	—do—	Shyam Murari Sinha, Shanti Nagar, Kohka, Tah. & Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
17.	—do—	—do—	Manharan Lal Nishad, Gram & Post-Nankatthi, Tah. & Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	General Election to Chhattisgarh Legis-lative, Assembly 2003.	75-Dhamdha	Girdhari, H. No. 236, Gram-Nandini Khundini, Tah.-Dhamdha, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
19.	—do—	76-Durg	Ashok Gupta, Ramnagar, Supela, Indira Chowk, Chhattisgarh.	—do—
20.	—do—	—do—	Bakar Ali, Q. No. 78 G. Guru Ghasidas Nagar, Durg, Chhattisgarh.	—do—
21.	—do—	—do—	Balram Yadav, Ward No.-4, Gayanagar, Durg, Chhattisgarh.	—do—
22.	—do—	—do—	Sarju Prasad Shukla Tope Niwas, Titurdih, Durg, Chhattisgarh.	—do—
23.	—do—	77-Bhilai	Gayatri Chakraborty, Qr. No.-8 D, Sector-5, Street-10, Bhilai, Chhattisgarh.	—do—
24.	—do—	78-Patan	Gannu Patela, Vill. & Post Kumhari, Tah.-Dhamdha, Chhattisgarh.	—do—
25.	—do—	79-Gunderdehi	Demin Bai Sinha, Gram-Thengna Barpara. Tah.-Gurur, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
26.	—do—	—do—	Dr. Tej Ram Sahu, Gram-Joratarai, Post-Bhatagaon (R) Tah.-Gunderdehi, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
27.	—do—	80-Khertha	Loknath Nishad, "Advocate" Main Road-Doundilohara Tah.-Doundilohara, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	General Election to Chhattisgarh Legislative, Assembly 2003.	80-Khertha	Santosh Gond, Luchkipara, in front of Shiv Mandir, Ward No. 6, Durg, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
29.	—do—	—do—	Derha Ram, Vill.-Anda, Thana-Pulgaon, Tah.-Durg, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
30.	—do—	81-Balod	Uttara Bai Sahu, Vill.-Phagundah, P. O.-Phagundah, Thana-Gurur, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—

By order,
Sd./-

(S. K. KAURA)
Secretary,
Election Commission of India.